Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1692 /12-1 **दिनांक, देहरादून 12- फरवरी, 2018**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **प्रस्ताव संख्या** FP/UK/Others/27153/2017 **जनपद देहरादून में मसूरी अन्तर्गत भट्टाफाल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा, डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित वन स्वरूप भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु 0.2883 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन के संबंध में**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 1994/12–1 दिनांक 01.02.2018 द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का विधिवत परीक्षण कर संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित प्रत्यावर्तन से देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के मालसी रेंज के रिखौली कक्ष सं0– 3, 4 व गल्जवाडी– 6 की 0.2883 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी भी प्रकार के वृक्षों का पातन नही किया जाना है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का दिनांक 01.02.2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुत भाग–2 एवं इस कार्यालय द्वारा भाग–3 की मूल प्रति जनहित में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रही है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 1692 /12-1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके पत्रांक 1994/12–1 दिनांक 01.02.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रपत्र–2.2

भाग–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

P.No.-FP/UK/Others/27153/2017

14–	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में उचित/प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या के आधार पर संस्तुति की जाती है।

तिथि– 12-02-2018

स्थान– देहरादून

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम **(पी0के0 पात्रो)**

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

सरकारी मोहर